

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्या:- 68/2016

श्रीमती मुन्नादेवी पत्नी श्री वृद्धिचन्द्र कोठारी निवासी बेगू तह0 बेगू
वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़
2. श्रीमान तहसीलदार साहब बेगू भूमिधारी
3. श्री राजेन्द्र कुमार आत्मज सुजानमल जी जैर निवासी बेगू
प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री सत्यनारायण ईनाणी
अधिवक्ता वादीया
श्री तहसीलदार, बेगू
पैरोकार राज.सरकार
श्री सुरेश चन्द्र टेलर
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.3

निर्णय दिनांक :- 24.09.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती नक्शा

वादीया का वाद पत्र इस प्रकार से है कि वादीया की खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 1458/1 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म बाराणी ग्राम काटुन्दा तह0 बेगू में अवस्थित है। यह आराजी वादी ने श्री मांगीलाल पिता श्रवण जी गुजर निवासी काटुन्दा से दिनांक 14.10.2003 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीद किया। इस आराजी के पश्चिम में आमरोड एवं इसी आराजी संख्या 1458 की सडक में गई हुई भूमि है एवं पूर्व दिशा में इसी आराजी संख्या 1458 का शेष भाग है।

यह कि इस आराजी के नक्शे के बाद में पटवारी हल्का द्वारा बदनियति से मनमकसूद तरमीम की गई जिससे वादीया की आराजी का 0.04 हैक्टर रकबा कम करने की नियत से किया गया जो आधारहीन है। क्यो कि बेगू काटुन्दा सडक एवं सडक की सीमा लगभग 60-70 वर्ष से चली आ रही है सडक और सडक के आस पास की भूमि पहले से ही छोड़ी हुई जिसका अंकन वादी के विक्रेता में स्पष्ट रूप से किया है।

कि ऐसी अवस्था में वादी की आराजी नम्बर 1458/1 का कोई रकबा सडक अथवा सडक सीमा में जाने का प्रश्न ही नहीं है और पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई यह तरमीम बदनियती पूर्ण होकर शरारतपूर्ण है एवं पूर्णतया अनुचित एवं अवैध है जो अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने की बदनियति से की गई है, जिससे वादी यह घोषित कराने की अधिकारी है कि मौजा काटुन्दा तह0 बेगू के आराजी नम्बर 1458/1 का कोई रकबा अर्थात 0.04 हैक्टर रकबा सडक व सडक सीमा में नहीं है। अपितु सडक सीमा के पश्चात वादी का सडक सीमा से पूर्व की ओर पूरा रकबा 0.16 हैक्टर है, और इसी के अनुसार वादी नक्शे में पुनः दुरुस्ती कराने की अधिकारी हैं।

यह कि बिनाए दावा वादी के पूर्व दिशा के पडोसी द्वारा अनावश्यक विवाद करने 0.04 हैक्टर रकबा वादी का अपना बताने पर वादी ने जानकारी कराई तो दिनांक 15.11.2015 को यह जानकारी हुई कि राजस्व कर्मचारियों ने विधि के विपरीत नक्शे में अनावश्यक तरमीम की है जिससे बिनाए दावा दिनांक 15.11.2015 से शुरु होती है जो प्रतिदिन हो रही है। यह कि वादग्रस्त आराजीयात मौजा काटुन्दा तह0 बेगू में अवस्थित है और घोषणा हेतु यह वाद होने से समायत न्यायालय आप है।

यह कि राज्य सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे प्रतिवादीगण को दिनांक 22.1.2016 को पंजीकृत सूचनापत्र देकर इन्द्राज दुरुस्ती की मांग की जिसको 2 माह से अधिक अवधी गुजर चुकी है किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही कोई उत्तर ही आया है जिससे यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।



वादी की प्रार्थना है कि :-

पक्ष वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण यह घोषित फरमाया जावे कि मौजा काटुन्दा तह0 बेगू में वादी खातेदारी की आराजी नम्बर 1458/1 के नक्शे में पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई तरमीम अनुचित एवं अवैध है एवं इस आराजी का जो रकबा 0.04 हैक्टर गलत रूप से सडक एवं सडक सीमा में नक्शे में दर्शा दिया है उसे निरस्त फरमाया जावे एवं वादी की आराजी संख्या 1458/1 वाके मौजा काटुन्दा तह0 बेगू का पूरा रकबा 0.16 हैक्टर सडक सीमा से पूर्व की ओर नक्शे में अंकित कराये जाने की डिक्की प्रदान की जावें।

बी- खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

सी- अन्य सहायता जो सुलभ हो और न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से तहसीलदार बेगू उपस्थित आए तथा प्रतिवादी सं. 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द्र टेलर न्यायालय में उपस्थित आए। दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम काटुन्दा की कृषि आराजी संख्या 1458/1 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि वादीया ने कय की यह सही है किन्तु वादीया का यह कथन गलत होकर अस्वीकार है कि पश्चिम दिशा में वादीया एवं रोड के मध्य वादीया की कोई भूमि हो। वास्तविकता यह है कि वर्तमान में जो रोड बन रहा है वह वादीया की भूमि 0.04 बिस्वा भूमि को लेकर बन रहा है। शेष कथनो को वादीया सिद्ध करें।

यह कि वादपत्र की कलम संया दो गलत होकर अस्वीकार है। पटवारी द्वारा जो नक्शे में तरमीम की गई वह वादीया के मौके पर किये कब्जे एवं पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर किया गया है। वादीया की जो भूमि रोड में गई है उसे वह प्रतिवादी सं0 3 की कय भूमि मे से हडपना चाहती है इसलिये यह वाद नक्शाट्रेस की तरमीम को गलत बता कर लाई है। शेष कथन गलत होकर अस्वीकार है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या तीन गलत होकर अस्वीकार है। वादीया ने वाद केवल प्रतिवादी संख्या 3 की कयशुदा भूमि मे से हडपने की गरज से प्रस्तुत किया है जो खारीज होने योग्य है। कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है। दिनांक 15.11.2015 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वादीया को नक्शे में तरमीम की वर्षों पहले ही जानकारी थी। वाद पत्र की कलम संख्या 5,6,7,8 व 9 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 10 गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी सं0 3 को कोई सूचनापत्र नहीं दिया गया। वादपत्र की प्रार्थना ए,बी,सी गलत होकर अस्वीकार है। स्पष्टीकरण विशेष कथन में वर्णित है।

जवाब दावा के विशेष कथन में निवेदन इस प्रकार से किया है :-

यह कि पटवारी द्वारा जो नक्शा तरमीम किया गया है वह कई वर्षों पूर्व वादीया की जानकारी में होकर मौके की स्थिति के अनुसार व दस्तावेज के आधार पर किया गया होने से वादीया को वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है।

यह कि वादीया की कयशुदा भूमि मे से जो तथाकथित 0.04 हैक्टर भूमि रोड कें गई है तो उसके लिये प्रतिवादी सं0 3 उत्तरदायी नहीं है एवं न ही वादीया को प्रतिवादी संख्या 3 की कयशुदा भूमि से कोई भूमि लेने का अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपनी कयशुदा भूमि का नामान्तरण होकर आबादी भूमि में रूपान्तरण भी की जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 3 ने तो भूमि कई वर्षों बाद कय की है। यदि वादीया ऐसा मानती है कि रोड के पश्चिम दिशा में उसकी भूमि नहीं जानी चाहिए तो उसे पहले ही वाद लाना था एवं पहले ही नक्शा तरमीम हो जाता तो विक्रेता के खाते में प्रतिवादी संख्या 3 को भूमि कय करने के लिए शेष ही नहीं रहती।

यह कि प्रतिवादी संख्या 3 ने जो भूमि आराजी संख्या 1458/मे से कय की है उसके खातेदार मांगीलाल गुजर को वादीया ने पक्षकार ही नहीं बनाया एवं न ही वाद में प्रारंभ से प्रतिवादी सं0 3 को पक्षकार बनारया। इससे ही स्पष्ट है कि वादीया का वाद दुर्भावनापूर्ण एवं चुपके से अनुतोष प्राप्त करने का रहा है। इस प्रकार वादीया का वादपत्र पक्षकारान के कुसंयोजन का होने से वाद वादीया खारीज होने योग्य है।

५

यह कि वादिया का वाद मियाद बाहर का है इसलिये खारीज होने योग्य है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 3 की आराजी संख्या 1458 की भूमि आबादी भूमि होने से वाद राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं होने से खारीज होने योग्य है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादिया को मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जबवा दावा प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र की कलम संख्या 1 में भूमि दर्ज होना स्वीकार किया है जबकि बिन्दु संख्या 2 से 10 को कानूनी होने से जवाब दिया है तथा अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि मुताबिक रिकोर्ड तरमीम सही की गई बिन्दुवार जवाब बअदालत प्रस्तुत है।

पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत होने पर निम्न लिखित तनकी पत्र पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया:-

1- आया कि वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण यह घोषित करा पाने के अधिकारी है कि मौजा काटुन्दा तह0 बेगू में वादी की खातेदारी की आराजी नम्बर 1458/1 के नक्शे में पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई तरमीम अनुचित एवं अवैध होने एवं इस आराजी का जो रकबा 0.04 हैक्टर गलत रूप से सडक एवं सडक सीमा के नक्शे में दर्शा दिया है उसे निरस्त फरमाया जावे एवं वादी की आराजी नम्बर 1458/1 वाके मौजा काटुन्दा तह0 बेगू का पूरा रकबा 0.16 हैक्टर सडक सीमा से पूर्व की ओर नक्शे में अंकित कराये जाने की डिकी प्राप्त कर पाने के अधिकारी है?.....वादी

2- आया कि पटवारी द्वारा जो नक्शा तरमीम किया गया है वह कई वर्षों पूर्व वादिया की जावगारी में होकर मौके की स्थिति के अनुसार व दस्तावेज के आधार पर किया गया है, वादीया को वाद लाने का अधिकार नहीं है तथाकथित 0.04 हैक्टर भूमि रोड में गई तो उसके लिये प्रतिवादी सं. 3 उत्तरदायी नहीं है, प्रतिवादी सं. 3 ने अपने कयशुदा भूमि का नामान्तरण होकर आबादी भूमि में रूपान्तरण भी कर चुका है। प्रतिवादी सं. 3 ने जो भूमि आराजी संख्या 1458 में से कय की है उसके खातेदार मांगीलाल गुजर को वादिया ने पक्षकार नहीं बनाया है एवं न ही वाद में प्रारम्भ में प्रतिवादी सं. 3 को पक्षकार बनाया है, वादिया का वाद दुर्भानापूर्ण एवं चुपके से अनुतोष प्राप्त करने का रहा है। इस प्रकार वादिया का वाद पत्र पक्षकारान के कुसंयोजन का होने, मियाद बाहर होने एवं आराजी संख्या 1458 की भूमि आबादी भूमि होने से वाद राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं होने से खारिज होने योग्य है?प्रतिवादी सं.3

3- आया कि मुताबिक रिकार्ड तरमीम सही की गई है?प्रतिवादी सरकार

4- दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वादीया की ओर से साक्ष्य वादीया में साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादिया श्रीम ति मुन्नादेवी पत्नि वृद्धिचन्द्र कोठारी का प्रस्तुत किया गया। वादीया द्वारा अपनी साख्य के मुख्यपरीक्षण में दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया तथा अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से जिरह में वादीया ने बताया कि कि वाद वर्णित भूमि उन्होंने मांगीलाल गुर्जर से ली है जो 16 आरी भूमि है जो रोड की लगती हुई है, कब्जा 16 आरी जमीन पर है मैंने जमीन रोड सीमा में गयी भूमि को छोडकर खरीद की है। तरमीम के वक्त नक्शे में गलती हो गयी है जिसको मैं सही करवाना चाहती हूँ। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 न्यायालय में वावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये तथा प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात दावा पत्रावली पर बहस अधिवक्ता वादीया की सुनी गई जिन्होंने अपनी बहस को वाद पत्र के अनुसार ही करते हुए निवेदन किया कि नक्शे में जो तरमीम की गई है उसमें 0.04 हैक्टर भूमि जो कि वादीया की भूमि है को आम रास्ते में दर्शाते हुए नक्शे में तरमीम कर दी है जिससे वादीया की कुल भूमि 0.16 आरी की बजाय अब 0.12 आरी ही रहती है। जबकि वादीया ने उक्त भूमि जो कि मांगीलाल गुर्जर से खरीद की थी यह आम रास्ते को छोडते हुए खरीद की थी। अतः न्यायालय आप से निवेदन है कि गलत नक्शातरमीम जो की गई है उसे सही कराये जाने का आदेश फरमाते हुए दावा डिकी फरमाया जावें।

—AP

पत्रावली में बहस अधिवक्ता वादीया की सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत भी दस्तावेज का गहन अवलोकन किया गया, तथा इस दावा पत्रावली में मौका रिपोर्ट जो न्यायालय द्वारा तलब की गई थी उसका अवलोकन किया गया। पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1- तनकी नम्बर 1 का निर्णय :-

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीया का है। वादीया द्वारा अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने हेतु जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उनमें नकल जमाबंदी मौजा काटून्दा की सम्मत 2068 से 71 की प्रस्तुत की है जो कि प्रदर्श-1 है, जमाबंदी में अंकित आराजी संख्या 1458/1 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री मुन्नादेवी पत्नि वृद्धीचन्द्र कोठारी सा. बेगू दर्ज है। प्रदर्श-2 नक्शाट्रेस आराजी है। प्रदर्श-3 एक रिपोर्ट पटवारी हल्का काटून्दा द्वारा दिनांक 03.01.2016 को मुर्तिब की गई है जिसमें वादीया के खातेदारी की भूमि मौजा काटून्दा में है उक्त भूमि की राजस्व नक्शे में तरमीम हो रखी है जिसका नाम उत्तरी भुजा 50मी., दक्षिणी भुजा 40मी, पूर्वी भुजा 49मी, पश्चिमी भुजा 22मी, उक्त माप से प्रार्थी की भूमि का क्षेत्रफल 0.15975 हैक्टर यानि 0.16 हैक्टर आता है। यह कि पंजीकृत विक्रय पत्र की फोटो प्रति अनुसार उक्त आराजी के पश्चिम दिशा का पाडोस में आम रोड एवं आराजी संख्या 1458 में की सडक मे गयी भूमि के बाद विक्रय द्वारा क्रेता को भूमि विक्रय करना अंकित है। मौके पर इस आराजी के पश्चिमी भाग में डमर सडक बनी हुई है एवं रोड बाउण्ड्री की भूमि जो कि वर्तमान नक्शे में हो रखी तरमीम में सम्मिलित है। सडक व सडक बाउण्ड्री जो इस आराजी में स्थित है उसका नाम वर्तमान नक्शे अनुसार निम्न है:- उत्तर में 16मी, दक्षिण में 18मी, पूर्व में 28मी, पश्चिम में 22मी, इस प्रकार सडक व सडक बाउण्ड्री क्षेत्रफल 0.04 हैक्टर जो कि प्रार्थी की वर्तमान नक्शे में हो रखी तरमीम में सम्मिलित किया जा चुका है यदि वर्तमान नक्शे से नाप की जावे तो प्रार्थीया को 0.16 हैक्टर -0.04 यानि 0.12 हैक्टर रकबा ही आता है। रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि जानकारी में आया कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश में प्रकरण विचाराधीन है। प्रदर्श-5 नक्शाट्रेस आराजी का है तथा प्रदर्श-5 नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए0डी की प्रति है उक्त नोटिस अधिवक्ता वादीया श्री सत्यनारायण ईनाणी द्वारा श्रीराजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ को एवं श्री तहसीलदार बेगू को दिया गया है उसकी प्रति है। तथा प्रदर्श-6 व प्रदर्श-7 नोटिस प्रेषिती की रसीद है एवं प्रदर्श-8 विक्रय आराजी मौजा काटून्दा की भूमि को खातेदार श्री मांगीलाल पिता श्रवण जाति गुर्जर द्वारा वादीया श्रीमति मुन्नादेवी पत्नी श्री वृद्धीचन्द्र कोठारी को विक्रय किया है। की प्रति हैं। विक्रय पत्र में अंकित किया है कि आराजी संख्या 1458 का विक्रय के पश्चात कब्जा वादीया को सौपा उसके पडोस में पूर्व में आराजी संख्या 1458 का शेष रकबा विक्रेता का, पश्चिम में आम रोड एवं आराजी संख्या 1458 में की सडक में गयी भूमि, उत्तर में आराजी संख्या 1457 एवं दक्षिण में आराजी संख्या 1460 एवं 2027/1461 का रकबा है।

उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत जो कराया गया है वह खातेदार के खाते में दर्ज मौजा काटून्दा की आराजी संख्या 1458 मे से 0.016 हैक्टर भूमि का विक्रय करा कब्जा सौपा जाने का उल्लेख किया हुआ है लेकिन उक्त भूमि का नॉप विक्रय करते समय किया गया था या नहीं इसका उल्लेख नहीं है , जैसा कि पंजीकृत विक्रय पत्र में अंकन है कि 1458 का शेष रकबा विक्रेता का एवं पश्चिम में आम रोड एवं आराजी संख्या 1458 मे की सडक में गयी भूमि है। यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि सडक की भूमि की लम्बाई चौड़ाई कितनी है एवं वादीया की क्रय की गई भूमि का नॉप कितना है केवल सडक भूमि को छोडते हुए लिखा है।

वादीया के वादपत्र में न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के मौके की एवं कब्जे काश्त की मौका रिपोर्ट हेतु तसहीलदार बेगू को लिखा गया जिसकी पालना में रिपोर्ट जो न्यायालय को भिजवाई गई है उसमें अंकित किया है कि ग्राम काटून्दा की आराजी संख्या 1458/1 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि राजस्व रेकार्ड में श्रीमती मुन्नादेवी पत्नि वृद्धीचन्द्र कोठारी सा. बेगू के नाम दर्ज रेकार्ड है। मौके पर खातेदार का 0.12 हैक्टर भूमि पर पत्थर कोट बनाकर काबीज है आराजी नं. 1458/1के तीन दिशाओं में पत्थर कोट बनी हुई होकर मौके पर पडत पडी हुई है आराजी काटून्दा

—

सड़क पर स्थित होकर सड़की दीशा में उक्त आराजी के पत्थर कोर्ट नहीं बनी हुई है एंचव 0.04 हैक्टर भूमि सड़क एवं सड़क सीमा में छुटी हुई हैं।

इस प्रकार इन सभी दस्तावेज एवं मौका रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि वादीया को विक्रय की गई आराजी में मौजा काटून्दा की आराजी संख्या 1458/1 रकाब 0.16 हैक्टर भूमि का विक्रय करते हुए उनके खातेदारी की भूमि को 0.016 हैक्टर अंकित है लेकिन मौके पर वादीया का कब्जा 0.12 हैक्टर भूमि पर होकर तीन ओर कोट बनी हुई होना स्पष्ट है तथा सड़क दिशा में उक्त आराजी पर पत्थर कोट नहीं है एवं 0.04 हैक्टर भूमि सड़क एवं सड़क सीमा में छुटी हुई है। तथा आराजी एवं सड़क आराजी की जो तरमीम की गई है वह नक्शे में कब्जे अनुसार एवं सड़क की भूमि में आयी भूमि को लेते हुए की गई, जो कि सही तरमीम की गई है। जो भूमि सड़क की भूमि है उस तरफ आई वादीया की भूमि पर पत्थरकोट नहीं है। इस प्रकार जो भूमि वादीया द्वारा विक्रेता मांगीलाल गुर्जर से क्रय की गई उसकी पूर्ति राज्य सरकार की सड़क में आई हुई भूमि से की जाकर वादीया के आराजी की पूर्ति नहीं की जा सकती है। वैसे भी प्रदर्श-3 रिपोर्ट पटवारी द्वारा यह जाहिर किया है कि मामला सिविल न्यायालय में भी विचाराधीन है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से वादीया अपने वाद पत्र को सिद्ध करा पाने में पूर्णतया असफल रही है। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 विरुद्ध वादीया निर्णित की जाती है।

2- तनकी नम्बर 2 का निर्णय :-

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या 3 पर है, लेकिन इस वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश किये गये हैं। जैसा कि तनकी नम्बर 1 के निर्णय जो कि दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर किया गया है उसमें वादीया अपने वाद पत्र एवं उनके जिम्मे की तनकी को सिद्ध करा पाने में पूर्णतया असफल रही है। जहाँ तक प्रतिवादी सं. 3 द्वारा अपने जवाब में यह तथ्य अंकित किया है कि वादीया की भूमि की पूर्ति कराना प्रतिवादी सं. 3 का उत्तरदायित्व नहीं है। एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जो कि भूमि जो क्रय की गई है उसका नामान्तरण होकर भूमि आबादी भूमि में रूपान्तरण होने का कथन अपने जवाब में प्रतिवादी अंकित करते हैं, हॉलाकी ऐसा कोई नकल जमाबंदी या नकल नामान्तरण प्रस्तुत नहीं किया है, फिर भी वादीया के जिम्मे की तनकी वादीया के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से यह तनकी नम्बर 2 बहक प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3- तनकी नम्बर 3 का निर्णय :-

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी सं. 1 व 2 पैरोकार सरकार पर है, दावा पत्रावली में वादीया के जिम्मे की तनकी को वादीया दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रही है एवं तनकी नम्बर एक में यह उल्लेख किया है कि जो नक्शे में तरमीम की गई है वह आम सड़क की भूमि को छोड़ते हुए सही तरमीम की गई है, जो कि रिकोर्ड के अनुसार की गई, वादीया के कमी रकबे की पूर्ति कराने का जिम्मा राज्य सरकार का नहीं है ना ही सड़क भूमि में से कमी करते हुए वादीया का रकबा पूरा किया जाने का जिम्मा राज्य सरकार का नहीं है। इस प्रकार मौके पर की गई राजस्व नक्शे में तरमीम मुताबिक रिकोर्ड अनुसार ही होने से यह तनकी बहक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं विरुद्ध वादीया निर्णित की जाती है।

इस प्रकार दावा पत्रावली में कायम की गई तनकी में वादीया अपने जिम्मे की तनकी को दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से सिद्ध करा पाने में पूर्णतया असफल रही है जबकि प्रतिवादी सं. 1 व 2 की तनकी बहक प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में सिद्ध होने से वादीया का वाद पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीया अन्तर्गत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादीया द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से सिद्ध करा पाने में पूर्णतया असफल रहने के कारण वादीया का वादपत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
दावा संख्या:- 68/2016

श्रीमती मुन्नादेवी पत्नी श्री वृद्धिचन्द्र कोठारी निवासी बेगू तह0 बेगू
वादीया

बनाम


1. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर महोदय चित्तौडगढ़
 2. श्रीमान तहसीलदार साहब बेगू भूमिधारी
 3. श्री राजेन्द्र कुमार आत्मज सुजानमल जी जैर निवासी बेगू
- प्रतिवादीगण

निर्णय डिक्री वाद पत्र अ0धा0 88 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी की उपस्थिती एवं में तथा प्रतिवादी राज्य की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार बेगू की उपस्थिती में वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 24.09.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट का खारिज किया जाकर निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :-

अतः वाद वादीया अन्तर्गत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादीया द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से सिद्ध करा पाने में पूर्णतया असफल रहने के कारण वादीया का वादपत्र खारिज किया जाता है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।


(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

तारिख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
जो इस हुक्म
में आ

24.9.25

प्रशासकीय पेशाद्वारा उभयपक्ष उपस्थित प्रकरण
में उभयपक्ष की बहस पूर्व में सुनी गई वादिया
का बाद सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है।
विलुप्त आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल
प्रशासकीय किया गया। प्रशासकीय मसल नुमा
होकर नम्बर से कम है।